संख्या–वे.आ.–2–405 / दस–54(एम) / 2008टी.सी.

प्रेषक,
अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
विशेष सचिव,
वित्त (सामान्य) अनुभाग–2
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2011

विषयः–वेतन समिति, (2008) के पंचम प्रतिवेदन में यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में पंचम प्रतिवेदन में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं:–

संशोधित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के आधार पर यात्रा भत्ता की संशोधित व्यवस्था / दरें निम्नानुसार रखी जायें:–

<u>(1) यात्रा की अधिकृत श्रेणी</u>

(अ) देश / प्रदेश के अन्तर्गत की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुति है कि पुनरीक्षित वेतन संरचना में यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ वायुयान / रेल से यात्रा की अधिकृत श्रेणी निम्नानुसार रखी जाये:–

क्र.सं.	सरकारी सेवक का ग्रेड वेतन / वेतनमान	यात्रा की अधिकृत श्रेणी
(1)	(2)	(3)
1.	वेतनमान रु० 67000–वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से–79,000 तथा एच.ए.जी. व उससे अधिक वेतनमान	वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास
2.	ग्रेड वेतन रु० 10,000 तथा 8900	वायुयान का एकोनामी क्लास / रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) अथवा शताब्दी / राजधानी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास
3.	ग्रेड वेतन रु० 8,700 तथा 7,600	रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 किमी से अधिक की यात्रा पर वायुयान का एकोनामी क्लास अथवा शताब्दी / राजधानी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास
4.	ग्रेड वेतन रु० 6,600 तथा 5,400	रेल का प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (द्वितीय श्रेणी) / टियर अथवा शताब्दी / राजधानी एक्सप्रेस में वातानुकूलित कुर्सीयान
5.	ग्रेड वेतन रु० 4,800, 4600 तथा 4,200	रेल का प्रथम श्रेणी अथवा वातानूकूलित कोच (थ्री टियर) / वातानुकूलित कुर्सीयान (शताब्दी / राजधानी एक्सप्रेस को छोड़कर)
6.	ग्रेड वेतन रु०4,200 से कम	रेल की द्वितीय श्रेणी (शयनयान)

(अ) (प) वसे स्थान जो रेल से न जुड़े हो, तक की यात्रा हेतु वातानुकूलित बस द्वारा यात्रा करने हेतु वे समस्त शासकीय सेवक अधिकृत होंगे जो रेल की वातानुकूलित टियर श्रेणी एवं इससे उच्च श्रेणी में रेल यात्रा करने हेतु अधिकृत हों। अन्य शेष सरकारी सेवक डीलक्स / साधारण बस यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे।

(ब) (पप) रेल मार्ग से जुड़े दो स्थानों के बीच सड़क मार्ग द्वारा सार्वजनिक वाहन से यात्रा एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा

इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य की जाये कि कुल किराया सम्बन्धित कर्मचारी की अधिकृत श्रेणी के रेल किराये से अधिक न हो।

(स) विदेश यात्रा के दौरान यात्रा भत्ता हेतु सरकारी सेवकों की वायुयान से यात्रा की अधिकृत श्रेणी निम्नानुसार रखे जाने की संस्तुति की जाती है:–

क्र.सं.	सरकारी सेवक का ग्रेड वेतन/वेतनमान	यात्रा की अधिकृत श्रेणी
(1)	(2)	(3)
1.	रु॰ 90,000 नियत तथा रु॰ 80,000 नियत वेतनमान	वायुयान की प्रथम श्रेणी
2.	वेतनमान रु॰ 67000–वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से–79,000	वायुयान की बिजनेस/क्लब क्लास।
3.	शेष अन्य सरकारी सेवक	वायुयान की एकानॉमी/सामान्य श्रेणी।

(2) आनुषंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जेज़)–

आनुषंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जेज़) की दरें निम्नानुसार रखी जायें:–

क्र.सं.	ग्रेड वेतन	आनुषंगिक व्यय
(1)	(2)	(3)
1.	ग्रेड वेतन रु॰ 5,400 व अधिक तथा उच्च वेतनमान	35पैसे प्रति किलो मीटर
2.	रू. 4,800, रु॰ 4600, रु॰ 4200 तथा 2,800	25 पैसे प्रति किलोमीटर
3.	रु॰ 2,800 से कम	15 पैसे प्रति किलोमीटर

वायुयान से यात्रा के मामले में निर्धारित शर्तों के अधीन वर्तमान में आनुषंगिक व्यय की धनराशि रु॰ 30/– प्रति यात्रा निर्धारित है। वर्तमान परिवेश में वायुयान से यात्रा हेतु आनुषंगिक व्यय की प्रासांगिकता नहीं रह गयी है। अत: समिति इस प्रावधान को समाप्त किये जाने की संस्तुति करती है।

(3) दैनिक भत्ता–

यात्रा के दौरान दैनिक भत्ते की अनुमन्यता हेतु स्थानों के वर्तमान वर्गीकरण को यथावत् रखा जाय। पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के आधार पर अनुमन्य दैनिक भत्ते की दरें निम्नवत् रखी जायें:–

क्र.सं.	सरकारी सेवक का ग्रेड वेतन/वेतनमान	दैनिक भत्ते की दरें (रु॰)		
		"क" वर्ग के नगरों के लिए जिनमें नगर– पालिकायें तथा कैन्टोनमेंट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज, जहाँ कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी– कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नोयड़ा क्षेत्र (गौतमबुद्धनगर) और गाजियाबाद।	"ख" वर्ग के नगरों के लिए जिनमें नगर– पालिकायें तथा कैन्टोनमेंट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज, जहाँ कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी– मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मुजफरनगर और फर्रूखाबाद।	साधारण दर (स्तम्भ–3 तथा 4 में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रु॰ 8700 तथा उससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतनमान	465	375	300
2	रु॰ 7600, रु॰ 6600 तथा 5400	420	330	270
3	रु॰ 4800 तथा रु॰	360	285	240

	4600			
4	रु॰ 4200 तथा रु॰ 2800	300	240	195
5	रु॰ 2800 से कम	195	150	120

(क) उपरोक्त तालिका के स्तम्भ–3 में उल्लिखित 'क' वर्ग के नगरों में रु॰ 5400 या उससे अधिक ग्रेड वेतन वाले सरकारी सेवकों को अन्य संस्थान/होटल में ठहरने पर निर्धारित शर्तों के अधीन निम्नानुसार विशेष दैनिक भत्ता अनुमन्य कराया जाये:–

क्र.सं.	ग्रेड वेतन/वेतनमान	विशेष दैनिक भत्ते की दरें (रु॰)
(1)	(2)	(3)
1	ग्रेड वेतन रु॰ 8700 व अधिक तथा उच्च वेतनमान	1200
2	ग्रेड वेतन रु॰ 7600, रु॰ 6600 तथा रु॰ 5400 तक	900

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर प्रदेश के सरकारी सेवकों को उन्हीं दरों से दैनिक भत्ते अनुमन्य कराये जायें जो उस स्थान के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य हैं। सरकारी सेवकों को किसी होटल या अन्य संस्थान में जहां ठहरने और/अथवा ठहरने व भोजन की व्यवस्था शिड्यूल्ड टैरिफ पर उपलब्ध हो, रहना पड़े तो उसे भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य दर पर दैनिक भत्ता अनुमन्य कराया जाये। यह दैनिक भत्ता तत्सम्बन्धी निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि प्रदेश के बाहर के उन स्थानों पर उत्तर प्रदेश राज्य, सम्बन्धित स्थानीय राज्य अथवा अन्य किसी राज्य/प्रशासन के गेस्ट हाउस/संस्थान आदि की व्यवस्था उपलब्ध न हो सकी हो।

(ग) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ के कार्यालयों में लेखा सम्बन्धी कार्य तथा मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ में शासकीय मुकदमों की पैरवी से संबंधित कार्य हेतु इलाहाबाद/लखनऊ जाने वाले सरकारी सेवकों को अतिरिक्त दैनिक भत्ता अनुमन्य कराने की व्यवस्था रही है। उक्त अतिरिक्त दैनिक भत्ते की दर को संशोधित कर रु॰ 100/–प्रतिदिन कर दिया जाये।

(4) सड़क मील भत्ता–
सड़क द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका के भाग–3 के नियम–23(बी) में प्रावधानिक शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सड़क मील भत्ते की संशोधित दरें निम्नानुसार रखी जायें:–

(I) रु॰ 6,600 या उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवक:–
(क) मोटर कार/जीप आदि से प्रतिमाह 1200 कि.मी. तक की गई सड़क यात्राओं के लिए:–

क्र.सं.	यात्रा की दूरी	रु॰ प्रति किलोमीटर	
		पेट्रोल चालक वाहन	डीजल चालक वाहन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम 500 कि.मी. तक	10.00	7.50
2	500 कि.मी. से अधिक परन्तु 1200 कि.मी.तक	7.00	5.50

(ख) उपरोक्त "क" में वर्णित वाहनों के अलावा पेट्रोल/डीजल चालित अन्य वाहनों तथा मोटर साइकिल/स्कूटर इत्यादि से की गयी सड़क यात्राओं के लिए।	रु॰ 5.00 प्रति किमी. इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में वसी यात्राओं के लिए रु॰ 1000 से अधिक धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
(ग) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गयी सड़क यात्राओं के लिए।	रु॰ 1.80 प्रति किमी. इस प्रतिबन्ध के अधीन की एक माह में वसी यात्राओं के लिए रु॰ 360 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी

(II) रु॰ 6,600/– प्रतिमाह से कम ग्रेड वेतन वाले सरकारी सेवक:–

(क)	पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन से की गयी सड़क यात्राओं के लिए	रु॰ 5.00 प्रति किमी. इस प्रतिबन्ध के अधीन की एक माह में वसी यात्राओं के लिए रू. 1000 से अधिक धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
(ख)	पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/ पैदल की गयी सड़क यात्राओं के लिए	रु॰ 1.80 प्रति किमी. इस प्रतिबन्ध के अधीन की एक माह में वसी यात्राओं के लिए रु॰ 360 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी

(III) शासकीय कार्यों से की जाने वाली यात्राओं के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी के आवास/गंतव्य स्थान से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन तक की दूरी हेतु वर्तमान में सड़क मील भत्ता अनुमन्य है। सड़क मील भत्ता की अनुमन्यता हेतु सरकारी कर्मचारी के आवास/गंतव्य स्थान से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन तक की दूरी वित्तीय हस्तपुस्तिका में किये गये प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक शहर के लिए मानकीकृत की गयी है जो उस शहर हेतु सभी कार्मिकों हेतु एक समान है। उक्त मानकीकृत दूरी के आधार पर ही विभिन्न नगरों में सरकारी कर्मचारियों को सड़क मील भत्ता अनुमन्य किया जाता है। वित्तीय हस्तपुस्तिका में उपलब्ध उपर्युक्त मानकीकृत दूरी जिलाधिकारी के कार्यालय तथा रेलवे स्टेशन/ बस स्टेशन के मध्य की दूरी है। समिति यह महसूस करती है कि उक्त मानकीकृत दूरी निर्धारित किये जाने के समय नगरों का आकार काफी छोटा रहा होगा और कर्मचारियों द्वारा वास्तविक रूप से की गयी यात्रा की दूरी और उक्त मानकीकृत दूरी में सामान्यत: विशेष अन्तर न रहा होगा परन्तु कालान्तर में लम्बी अवधि के दौरान नगरों का कई गुना विस्तार हो जाने के फलस्वरूप वर्तमान में यह स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि राजकीय सेवक के आवास/गंतव्य स्थान से रेलवे स्टेशन/ बस स्टेशन के मध्य की दूरी, जिसके लिए यात्रा के दौरान सरकारी सेवक को व्यय करना पड़ता है, सड़क मील भत्ता हेतु मानकीकृत दूरी से कई गुना अधिक है। वसी परिस्थिति में राजकीय सेवक द्वारा वास्तविक रूप से व्यय की जाने वाली धनराशि के अल्पांश की ही प्रतिपूर्ति हो पाती है। इस व्यवहारिक कठिनाई को देखते हुए समिति का मत है कि शासकीय कार्य हेतु की जाने वाली यात्रा के दौरान सरकारी सेवक के आवास/गंतव्य स्थान से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के मध्य वास्तविक दूरी के आधार पर ही सड़क मील भत्ता अनुमन्य किया जाये। अत: समिति की संस्तुति है कि अल्प दूरी की यात्राओं (निवास स्थान/गंतव्य स्थान से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के बीच) के लिए वास्तविक दूरी के आधार पर सरकारी सेवकों को रु॰ 10.00 प्रति किमी. की दर से सड़क मील भत्ता दिया जाये।

(5) <u>स्थानान्तरण यात्रा भत्ता–</u>
सरकारी सेवकों को जनहित में किये गये उनके स्थानान्तरण के अवसर पर स्वयं तथा उसके परिवार के लिए स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, घरेलू सामान को ले जाने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति तथा एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान की व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के आधार पर निम्नानुसार रखी जाये:–

(क) <u>घरेलू सामान की ढुलाई</u>

(i) <u>यात्रा यदि परिवार सहित की गयी हो–</u>
पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के आधार पर घरेलू समान की ढुलाई हेतु स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ निम्न व्यवस्था रखे जाने की संस्तुति की जा रही है:–

क्र.सं.	सरकारी सेवक का ग्रेड वेतन/ वेतनमान	व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिए अनुमन्य अधिकतम सीमा
(1)	(2)	(3)
1	रु॰ 5400 तथा उससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतनमान	6000 किग्रा या 4 पहिया का एक बैगन
2	रु॰ 4,800 तथा रु॰ 4,600	3000 किग्रा.
3	रु॰ 4,200 तथा रु॰ 2,800	2500 किग्रा.
4	रु॰ 2,800 से कम	1250 किग्रा.

(ii) <u>यदि यात्रा स्वयं अकेले की गयी हो–</u>
स्थानान्तरण के बाद सरकारी सेवक द्वारा यदि यात्रा स्वयं अकेले की गयी हो तो उस स्थिति में उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ–3 में उल्लिखित भार का 2/3 अधिकतम देय होगा।

(ख) एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट)/पैकिंग भत्ता–
सरकारी सेवकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने के दशा में उन्हें एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान की व्यवस्था तथा जिले के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने पर पैकिंग भत्ता अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था वर्तमान में उपलब्ध है। समिति की संस्तुति है कि एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान/पैकिंग भत्ता को निम्नानुसार संशोधित दरों पर बनाये रखा जाये–

(i) जनहित में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने पर एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान के रूप में आधे माह के मूल वेतन के बराबर धनराशि अनुमन्य की जाये।

(ii) जनहित में एक जिले के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने पर एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान अनुमन्य नहीं होगा, उसके स्थान पर निम्न दरों पर पैकिंग भत्ता अनुमन्य किया जाये:–

क्र.सं.	ग्रेड वेतन/वेतनमान	पैकिंग भत्ते की दर
(1)	(2)	(3)
1	रू॰ 4200 ग्रेड वेतन तथा से अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतनमान	रू॰ 1500/–
2	रू॰ 4200 से कम	रू॰ 750/–

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।